उत्तर प्रदेश शासन
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4
संख्या-23/18-4-2025-11(बजट)/10
लखनऊः दिनांकः 09 जनवरी,2025

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-003 के अंतर्गत "निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना" के क्रियान्वयन हेतु मदवार प्राविधानित कुल धनराशि रू0 51.50 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में मदवार कुल धनराशि रू0 19.31 लाख (रू0 उन्नीस लाख इकतीस हजार) मात्र की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने संबंधी संलग्न शासनादेश संख्या-465/18-4-2024-11(बजट)/10, दिनांक 10 जुलाई,2024 के प्रस्तर-1 की तालिका में 04 लघु शीर्षक/मदवार के सम्मुख स्तम्भ-5 एवं 6 में स्वीकृत तथा अवशेष धनराशि त्रुटिपूर्ण निम्नवत् अंकित हो गयी है :-

धनराशि (लाख रू0 में)

लघु शीर्षक	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **प्रथम किश्त** के रूप में पूर्व में शासनादेश दिनांक 02/5/2024 द्वारा स्वीकृति धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **द्वितीय किश्त** के रूप में वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि	तालिका स्तम्भ-4 व 5 द्वारा स्वीकृत धनराशि को घटाने के फलस्वरूप प्रश्नगत मद में स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि
1	2	3	4	**5**	6
04-	यात्रा व्यय	0.50	0.13	**0.18**	0.19
11-	**लेखन सामग्री**	**3.00**	**0.75**	**1.13**	**1.12**
15-	**गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल**	**5.00**	**1.25**	**1.87**	**1.88**
29-	अनुरक्षण	1.00	0.25	**0.38**	0.37

संदर्भित शासनादेश दिनांक 10-07-2024 के प्रस्तर-1 की तालिका के उक्त लघु शीर्षक/मदवार के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 एवं 6 को एतद्द्वारा संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

धनराशि (लाख रू0 में)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लघु शीर्षक	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **प्रथम किश्त** के रूप में पूर्व में शासनादेश दिनांक 02/5/2024 द्वारा स्वीकृति धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **द्वितीय किश्त** के रूप में वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि	तालिका स्तम्भ-4 व 5 द्वारा स्वीकृत धनराशि को घटाने के फलस्वरूप प्रश्नगत मद में स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि
1	2	3	4	**5**	6
04-	यात्रा व्यय	0.50	0.13	**0.19**	0.18
11-	**लेखन सामग्री**	**3.00**	**0.75**	**1.12**	**1.13**
15-	**गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल**	**5.00**	**1.25**	**1.88**	**1.87**
29-	अनुरक्षण	1.00	0.25	**0.37**	0.38

2- उक्त शासनादेश दिनांक 10 जुलाई,2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत् रहेंगे ।

संलग्नक : यथोक्त।

(सुनील कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- (1)/18-4-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।
3-महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-।)सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन,उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ।
4- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
5-कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ ।
6-निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ।
8-वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर/लखनऊ।
9-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु0-1, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10-संयुक्त सचिव(श्री अनमोल सिंह) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन को ऑनलाइन बजट एलाटमेण्ट सिस्टम में प्रविष्टि हेतु ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(दयाराम यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।